कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 26,152 /सात लाई०–48/आब०नीति–2025/2025–26 देहरादूनः दिनांकः मार्च, 26, 2025

::कार्यालय ज्ञाप::

उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादूनः दिनांकः 05, मार्च, 2025 के द्वारा प्रख्यापित की गयी है के क्रम में प्रदेश आबकारी राजस्व हित में निम्नांकित निर्देशो का अनुपालन किया जाना हैः–

1. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–12.5 व आयुक्तालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप के द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार मदिरा के विक्रय मूल्य के परिपेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 29.03.2025 तक देशी/विदेशी मदिरा/बियर/वाईन/आर०टी०डी० इत्यादि पर चस्पा होने वाले लेबिलों पर अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ–साथ न्यूनतम खुदरा मूल्य उत्पादन स्तर पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा
2. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–12.5 व आयुक्तालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप के आलोक में आगामी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत होने वाली ई०डी०पी०/एम०आर०पी० मय शपथ पत्र के साथ नियमानुसार दिनांक 29.03.2025 तक समस्त आर्पूतक इकाईयों द्वारा आयुक्तालय में अनुमोदनार्थ ऑन लाईन के साथ–साथ हार्ड कॉपी में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसको आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा आवश्यक परीक्षोपरान्त् अनुमोदित किया जायेगा।

उपर्युक्त प्राविधान आबकारी अधिनियम, 1910 एवं तत्सम्बन्धित नियमों के तहत आबकारी आयुक्त को प्राप्त शक्तियों के अधीन जारी किये जा रहे। उक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

26/03/2025

(हरिचन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्याः 26,153–58 /सात लाई०–48/आब०नीति–2025/2025–26 देहरादूनः तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके जनपद में स्थित समस्त निर्माता इकाई/आसवनी/बॉटलिंग प्लान्ट/बाण्ड अनुज्ञापन इत्यादि को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त निर्माता इकाई/आसवनी/बॉटलिंग प्लान्ट/बाण्ड अनुज्ञापन इत्यादि को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।
6. गार्ड फाईल।

26/03/2025

(हरिचन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

Scanned with CamScanner